

# गौण खनिज

## अनुसूची-तीन (देखिए नियम 29)

### रायल्टी की दरें

क्र०	गौण खनिज	रायल्टी दरें
1	आकारीय पत्थर ग्रेनाइट, डोलेराइट और अन्य आग्नेय तथा परिवर्तित चट्टानें जिनका उपयोग काटकर और तराशकर विशिष्ट आकार के ब्लाक्स, स्लेब्स, टाइल्स बनाने के लिये किया जाता है :- क- काला रंग ख- अन्य रंग	रू० 750/- प्रति घन मीटर रू० 400/- प्रति घन मीटर
2	संगमरमर जिसका उपयोग काटकर और तराशकर विशिष्ट आकार के ब्लाक्स, स्लेब्स, टाइल्स बनाने के लिये किया जाता है।	रू० 200/- प्रति घन मीटर
3	अन्य प्रयोजन के लिये संगमरमर पत्थर	रू० 75/- प्रति घन मीटर
4	फ्लेगस्टोन-प्राकृतिक परतदार पत्थर जिसका उपयोग फर्श छत आदि के लिये किया जाता है।	रू० 75/- प्रति घन मीटर
5	रेत एवं बजरी	रू० 15/- प्रति घन मीटर
6	मुरम	रू० 15/- प्रति घन मीटर
7	पत्थर (क) बोल्टर (ख) गिट्टी, रोड मेटल (ग) परिष्कृत पत्थर, खण्डा, ढोका	रू० 30/- प्रति घन मीटर रू० 40/- प्रति घन मीटर रू० 40/- प्रति घन मीटर
8	मिट्टी, ईट एवं टाइल्स निर्माण हेतु	रू० 15/- प्रति घन मीटर
9	अन्य गौण खनिज	रू० 30/- प्रति घन मीटर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

-सही-

एम.के. त्यागी, उप-सचिव

**छत्तीसगढ़ शासन  
खनिज साधन विभाग  
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर**

**अधिसूचना**

रायपुर दिनांक 2.3.2006

क्रमांक एफ 7-7/2004/12, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा गौण खनिज रेत के व्यवसाय के विनियमन हेतु छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 1996 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

**संशोधन**

उक्त नियमों में -

1. नियम 29 की अनुसूची तीन में उल्लेखित निम्नानुसार दरें स्थापित किया जाए :-
2. ये संशोधित दरें तारीख 1 अप्रैल 2006 से लागू होंगी ।

**अनुसूची - तीन  
(देखिए नियम 29)**

**रायल्टी दरें**

अनु.क्र.	खनिज	दरें
1	2	3
5	साधारण रेत बजरी	रु. 15 प्रति घन मीटर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

-सही-  
(एम.के. त्यागी)  
संयुक्त सचिव

## RATE OF ROYALTY

S.No.	Mineral	Rates
1.	Dimensional Stone-Granite, dolerite and other igneous and metamorphic rocks which are used for cutting and polishing purpose for making blocks, slabs, tiles of specific dimension:-	
	(a) Black colour	Rs. 750/- per cu.mt.
	(b) Other colour	Rs. 400/- per cu.mt.
2.	Marble which is used for cutting and polishing purpose for making blocks slabs tiles of specific dimension.	Rs. 200/- per cu.mt.
3.	Marble stone for other purpose	Rs. 75/- per cu.mt.
4.	Flagstone-Natural sedimentary rock which is used for flooring roof top etc.	Rs. 75/- per cu.mt.
5.	Sand & Bajari	Rs. 15/- per cu.mt.
6.	Murum	Rs. 15/- per cu.mt.
7.	Stone:	
	(a) Boulder	Rs. 30/- per cu.mt.
	(b) Gitti, roadmetal	Rs. 40/- per cu.mt.
	(c) Dressed stone, Khanda, Dhoka	Rs. 40/- per cu.mt.
8.	Soil for making bricks and Tiles	Rs. 15/- per cu.mt.
9.	Other minor minerals	Rs. 30/- per cu.mt.

By order and in the name of the  
Governor of Chhattisgarh

**M.K. Tyagi**, Dy. Secretary

## NOTIFICATION

No. F 7-7/2004/12, In exercise of the power conferred by section 15 of Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (Now 67of 1957) the State Government hereby makes the following amendments in Chhattisgarh Minor Minerals Rules, 1996 namely.

### AMENDMENT

In the said Rules,

1. In schedule III, of Rule 29 the following rates of royalties shall be substituted.
2. It shall come in to force from the date of 1 April, 2006.

### SCHEDULE - III

(See rule 29)

#### RATE OF ROYALTY

S.No.	Mineral	Rates
1	2	3
5	Ordinary Sand, bajri	Rs. 15 per cu.m.

By order and in the name of the  
Governor of Chhattisgarh

**(M.K. Tyagi)**  
Joint Secretary